झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः–3 / पी॰एम॰सी॰ / प्र०स्वी० / 109 / 2016– / राँची, दिनांकः–.............

प्रेषकः

ई० राजेन्द्र प्रसाद
उप सचिव (अभि॰)

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिनू, राँची।

द्वाराः **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।**

विषयः– सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल, राँची अन्तर्गत चिन्दा जलाशय योजना एवं धनसिंहटोली जलाशय योजना के यॉंत्रिक कार्य हेतु रू० 270.40 लाख (दो करोड़ सत्तर लाख चालिस हजार) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

<u>आदेश–स्वीकृत।</u>

1. सिंचाई यॉंत्रिक प्रमण्डल, राँची के अन्तर्गत चिन्दा जलाशय योजना एवं धनसिंहटोली जलाशय योजना के यॉंत्रिक कार्य हेतु रू० 270.40 लाख मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. इसके अन्तर्गत निम्न कार्य कराये जायेंगे :-

(A) चिन्दा जलाशय योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य (रू० 196.91 लाख) :–

(i) चिन्दा जलाशय योजना के डैम आउटलेट पर लगे Spillway गेटों (11 Nos.) का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य।

(ii) योजना के Embedded Parts को बदलने, नया Hoist Bridge का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य।

(iii) गेटों के Rope drum hoisting arrangement system को बदलकर Screw hoist system लगाने का कार्य।

(iv) विभिन्न अवयवों की मरम्मति एवं अन्य आवश्यक संबंधित कार्य।

(B) धनसिंहटोली जलाशय योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य (रू० 73.49 लाख) :–

(i) योजना के मुख्य नहर में C/R (2 Nos) एवं H/R (6 Nos)Gates का निर्माण एवं अधिष्ठापन।

(ii) Hoisting Arrangement, Embeded Parts, Host Bridge एवं Canal के Water fall के well में जाली आदि का निर्माण एवं अधिष्ठापन।

(iii) विभिन्न अवयवों की मरम्मति एवं अन्य संबंधित कार्य।

3. इस कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यॉंत्रिक प्रमंडल राँची निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी होगें तथा मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होगे।

4. **इस कार्य पर होने वाला व्यय :–**

मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय–उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य लघुशीर्ष–796–जनजातिय क्षेत्रीय उपयोजना–उपशीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।

5. इस कार्य का समावेश वर्ष 2017–18, के सी०ओ०बी०टी० में समेकित रूप में है।
6. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम '300 का अनुपालन दृढता से किया जायेगा।
7. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जायेगी।
8. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
9. इस कार्य को वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रारम्भ करके एक वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।
10. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
11. प्रावधानित लौह सामग्रियों में से निकलने वाले लौह सामग्रियों का 40% राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा करना होगा।
12. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुर्नस्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
13. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।
14. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
15. प्रस्ताव पर विभागीय अपर मुख्य सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
ह० / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः–3 / पी०एम०सी० / प्र0स्वी0 / 109 / 2016– **/ राँची, दिनांकः–............**

प्रतिलिपिः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ / योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह० / –
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः—3 / पी॰एम॰सी॰ / प्र0स्वी0 / 109 / 2016— / राँची, दिनांकः—..............

प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/—

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांकः—3 / पी॰एम॰सी॰ / प्र0स्वी0 / 109 / 2016— / राँची, दिनांकः—..............

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची / संयुक्त सचिव (अभि॰) जल संसाधन विभाग / अभियंता प्रमुख—I, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची / मुख्य अभियंता (यॉंत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता (यॉंत्रिक) सिंचाई यॉंत्रिक अंचल, राँची / कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, राँची / अधीक्षण अभियंता योजना, मोनिटरिंग एंव आयोजन अंचल—1 / 2 / 3 राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी—7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह०/—

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांकः—3 / पी॰एम॰सी॰ / प्र0स्वी0 / 109 / 2016— / राँची, दिनांकः—..............

प्रतिलिपिः आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर एवं कोल्हान प्रमण्डल को सूचनार्थ प्रेषित् करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलार्न्तगत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/—

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

पत्रांकः—3 / पी॰एम॰सी॰ / प्र0स्वी0 / 109 / 2016— 44/17-18 प्र.स्वी. / राँची, दिनांकः—03/10/2017

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित / कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०—3, राँची को प्रशासनिक स्वीकृति On-line करने हेतु प्रेषित।

03/X/2017

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

03/10/17